



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20] नई दिल्ली, अक्टूबर 9—अक्टूबर 15, 2005, शनिवार/आश्विन 17—आश्विन 23, 1927
No. 20] NEW DELHI, OCTOBER 9—OCTOBER 15, 2005, SATURDAY/ASVINA 17—ASVINA 23, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2005

का.नि.आ. 119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'घ' (गैर-औद्योगिक) पद भर्ती नियम, 1998 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में समूह 'ग' तथा समूह 'घ' (गैर-औद्योगिक) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय समूह 'ग' तथा 'घ' (गैर-औद्योगिक) पद भर्ती नियम, 2005 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- लागू होना : ये नियम स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों जो कि इन नियमों की अनुसूची में वर्णित हैं के लिए लागू होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति आयु-सीमा और अर्हताएं : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता : वह व्यक्ति,—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

9P'D'



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 20]

नई दिल्ली, अक्टूबर 9—अक्टूबर 15, 2005, शनिवार/आश्विन 17—आश्विन 23, 1927

No. 20]

NEW DELHI, OCTOBER 9—OCTOBER 15, 2005, SATURDAY/ASVINA 17—ASVINA 23, 1927

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2005

का.नि.आ. 119.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय, समूह 'घ' (गैर-औद्योगिक) पद भर्ती नियम, 1998 का उन बातों के सिवाय अधिक्रमण करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में समूह 'ग' तथा समूह 'घ' (गैर-औद्योगिक) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय समूह 'ग' तथा 'घ' (गैर-औद्योगिक) पद भर्ती नियम, 2005 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना : ये नियम स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों जो कि इन नियमों की अनुसूची में वर्णित हैं के लिए लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति आयु-सीमा और अर्हताएं : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पदों में से किसी पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों या पदों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा अनुज्ञेय है या नहीं
1	2	3	4	5	6
1. कार्यालय परिचर 'घ'	50* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2750-70- 3800-75- 4400 रुपए	चयन	अनुज्ञेय नहीं
सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं			परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9	10		
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता		
भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाएगा				
11	12				
प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : ऐसे कार्यालय परिचर 'ख' जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना में की हो। जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।				

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13

14

प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :

लागू नहीं होता।

1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो —सदस्य

1	2	3	4	5	6
2. प्रसाधन परिचर 'घ'	14* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2750-70- 3800-75- 4400 रुपए	चयन	अनुज्ञेय नहीं
7		8		9	10
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11

12

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसे प्रसाधन परिचर 'ख' जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना में की हो।

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13

14

प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :

लागू नहीं होता।

1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो —सदस्य

1	2	3	4	5	6
3. उद्यान परिचर 'घ'	5* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2750-70- 3800-75- 4400 रुपए	चयन	अनुज्ञेय नहीं
7		8		9	10
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11

प्रोन्नति द्वारा

12

प्रोन्नति :

ऐसे उद्यान परिचर 'ख' जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना में की हो।

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसे अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13

प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो। —सदस्य

14

लागू नहीं होता।

1	2	3	4	5	6
4. सुरक्षा परिचर 'घ'	20* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2750-70- 3800-75- 4400 रुपए	चयन	अनुज्ञेय नहीं
7		8		9	10
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसे सुरक्षा परिचर 'ख' जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना में की हो।

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

12

13

प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

लागू नहीं होता।

- | | |
|---|----------|
| 1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान | —अध्यक्ष |
| 2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी | —सदस्य |
| 3. किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो। | —सदस्य |

1

2

3

4

5

6

5. कार्यालय परिचर 'ख'	360* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000 रुपए	चयन	अनुज्ञेय नहीं
-----------------------	---	--	---	-----	---------------

7

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

11

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसे कार्यालय परिचर 'क' जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना में की हो।

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

12

प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- | | | |
|---|----------|-----------------|
| 1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान | —अध्यक्ष | लागू नहीं होता। |
| 2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी | —सदस्य | |
| 3. किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो। | —सदस्य | |

1	2	3	4	5	6
6. प्रसाधन परिचर 'ख'	196 * (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000 रुपए	चयन	अनुज्ञेय नहीं
7		8		9	10
लागू नहीं होता		लागू नहीं होता		लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
11				12	
प्रोन्नति द्वारा					

प्रोन्नति :

ऐसे प्रसाधन परिचर 'क' जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना में की हो।

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

- | | | |
|--|----------|-----------------|
| 1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान | —अध्यक्ष | लागू नहीं होता। |
| 2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी | —सदस्य | |
| 3. किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो। | —सदस्य | |

1	2	3	4	5	6
7. उद्यान परिचर 'ख'	91* (2005) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000 रुपए	चयन	अनुज्ञेय नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11	12
----	----

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसे उद्यान परिचर 'क' जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना में की हो।

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

13	14
प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता।

1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो। —सदस्य

1	2	3	4	5	6
8. सुरक्षा परिचर 'ख'	310* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2610-60- 2910-65- 3300-70- 4000 रुपए	चयन	अनुज्ञेय नहीं

7	8	9	10
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

11

प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति :

ऐसे कार्यालय परिचर 'ख' जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष की नियमित सेवा संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना में की हो।

जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

12

13

प्रोन्नति के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

14

लागू नहीं होता।

1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो। —सदस्य

1	2	3	4	5	6
9. कार्यालय परिचर 'ख'	351* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2550-55- 2660-60- 3200 रुपए	लागू नहीं होता	अनुज्ञेय नहीं

7	8	9	10
18 से 25 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, केन्द्रीय सरकार के सेवकों आदि के लिए अधिकतम आयु-सीमा शिथिल की जा सकती है। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए प्रत्येक मामले में निर्णायक तारीख, यथास्थिति अंतिम तारीख वह होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया हो अथवा आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए विज्ञापन में जो अंतिम तारीख अधिसूचित की गई हो।	अनिवार्य : आठवीं कक्षा उत्तीर्ण वांछनीय : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण)।	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

11

सीधी भर्ती द्वारा—पचहत्तर प्रतिशत।
आमेलन द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी
भर्ती द्वारा—पच्चीस प्रतिशत।

12

आमेलन:

ऐसे प्रसाधन परिचर 'क' जिन्होंने संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना में 5 वर्ष नियमित सेवा की हो और जो सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं रखते हों या अंग्रेजी या हिन्दी या कोई प्रादेशिक भाषा पढ़ने और लिखने में सक्षम हों, जिसे एक साधारण परीक्षा द्वारा अवधारित किया जाएगा।

13

पुष्टि/आमेलन के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें, निम्नलिखित होंगे :—

14

लागू नहीं होता।

1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो। —सदस्य

1

2

3

4

5

6

10. प्रसाधन परिचर 'क'	181* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2550-55- 2610-60- 3200 रुपए	लागू नहीं होता	अनुज्ञेय नहीं
-----------------------	---	--	-----------------------------------	----------------	---------------

7

8

9

10

18 से 25 वर्ष केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, केन्द्रीय सरकार के सेवकों आदि के लिए अधिकतम आयु-सीमा शिथिल की जा सकती है। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए प्रत्येक मामले में निर्णायक तारीख, यथास्थिति अंतिम तारीख वह होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है अथवा आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए विज्ञापन में जो अंतिम तारीख अधिसूचित की गई हो।	अनिवार्य : पांचवी कक्षा उत्तीर्ण वांछनीय : आठवी कक्षा उत्तीर्ण	लागू नहीं होता	2 वर्ष
---	---	----------------	--------

11

सीधी भर्ती द्वारा

12

लागू नहीं होता

13

पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें, निम्नलिखित होंगे :—

14

लागू नहीं होता

1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष
2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य
3. किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो। —सदस्य

2956 9705-3

1	2	3	4	5	6	
11. उद्यान परिचर 'क'	55* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2550-55- 2660-60- 3200 रुपए	लागू नहीं होता	अनुज्ञेय नहीं	
7	18 से 25 वर्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, केन्द्रीय सरकार के सेवकों आदि के लिए अधिकतम आयु-सीमा शिथिल की जा सकती है। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए प्रत्येक मामले में निर्णायक तारीख, यथास्थिति अंतिम तारीख वह होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया हो अथवा आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए विज्ञापन में जो अंतिम तारीख अधिसूचित की गई हो।	8 अनिवार्य : 1. पांचवी कक्षा उत्तीर्ण 2. बागवानी में दो वर्ष का अनुभव या बागवानी की जानकारी के साथ-साथ कृषि संबंधी ग्रामीण पृष्ठभूमि वांछनीय : आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	9 लागू नहीं होता	10 दो वर्ष	
11	सीधी भर्ती द्वारा	12 लागू नहीं	13 पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष 2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य 3. किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी, जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो —सदस्य	14 लागू नहीं होता।		
1	12. सुरक्षा परिचर 'क'	340* (2005) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'घ' अराजपत्रित, (गैर-औद्योगिक)	2550-55- 2660-60- 3200 रुपए	लागू नहीं होता	अनुज्ञेय नहीं
7	18 से 25 वर्ष	केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, केन्द्रीय सरकार के सेवकों आदि के लिए अधिकतम आयु-सीमा शिथिल की जा सकती है। आयु-सीमा अवधारित करने के लिए प्रत्येक मामले में निर्णायक तारीख, यथास्थिति अंतिम तारीख वह होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया हो अथवा आवेदन-पत्र प्राप्त करने के लिए विज्ञापन में जो अंतिम तारीख अधिसूचित की गई हो।	8 अनिवार्य : केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र (10 + 2 प्रणाली के अंतर्गत दसवीं कक्षा उत्तीर्ण) 2. शारीरिक स्वस्थता और श्रमसाध्य कर्तव्य करने की क्षमता।	9 लागू नहीं होता	10 दो वर्ष	

11	12
सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता
टिप्पण : सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों को अपनी पुष्टि से पहले निर्धारित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक पूरा करना होगा।	
13	14
पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें, निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता
1. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला का प्रधान —अध्यक्ष	
2. संबंधित स्थापना या प्रयोगशाला के दो ज्येष्ठ अधिकारी —सदस्य	
3. किसी अन्य प्रयोगशाला या स्थापना या मुख्यालय से एक अधिकारी जो संबंधित प्रयोगशाला या स्थापना के सदस्यों के समतुल्य या उनसे ऊपर की पंक्ति का हो। —सदस्य	

[फा. सं.—मासंपिणि/76257/आरआर/युम-प/सी/पी/01]

एस. के. देब, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE**(Department of Defence Research and Development)**

New Delhi, the 29th September, 2005

S.R.O. 119.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'D' (Non-Industrial) posts Recruitment Rules, 1998 except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'C' and 'D' (Non Industrial) posts in Defence Research and Development Organisation under the Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These rules may be called the Defence Research and Development Organisation, Ministry of Defence, Group 'C' and 'D' (Non-Industrial) post Recruitment Rules, 2005 —

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, promotion, age limit and qualifications.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

5. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or Non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible	Age limit for direct recruits
1	2	3	4	5	6	7
1. Office Attendant 'D'	50* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted (Non-Industrial).	Rs. 2750–70-3800-75-4400	Selection	Not admissible	Not applicable
Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Period of probation, if any	
8			9		10	
Not applicable			Not applicable		Not applicable	
Method of recruitment : whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the posts to be filled by various methods				In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made		
11				12		
By promotion.				Promotion : Office Attendants 'B' with four years regular service in the grade in the respective Laboratory or Establishment. Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying service.		
If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition				Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment		
13				14		
Departmental Promotion Committee for Promotion consisting of 1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman 2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory —Member 3. An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment. —Member				Not applicable.		

1	2	3	4	5	6	7
2. Cosmetic Attendant 'D'	14* (2005). *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, (Non-Industrial).	Rs. 2750-- 70-3800- 75-4400	Selection	Not admissible	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By promotion.	Promotion :

Cosmetic Attendants 'B' with four years regular service in the grade in the respective Laboratory or Establishment.

Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying service.

13	14
Departmental Promotion Committee for Promotion consisting of :	Not applicable.
1. Head of the concerned Establishment or Laboratory	—Chairman
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	—Member
3. An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment.	—Member

1	2	3	4	5	6	7
3. Garden Attendant 'D'	05* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted (Non-Industrial).	Rs. 2750-- 70-3800- 75-4400	Selection	Not admissible	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

2956 97/05-4

11	12
By promotion	<p>Promotion : Garden Attendants 'B' with four years regular service in the grade in the respective Laboratory or Establishment.</p> <p>Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying service.</p>

13	14
<p>Departmental Promotion Committee for Promotion consisting of :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman 2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory —Member 3. An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment. —Member 	Not applicable.

1	2	3	4	5	6	7
4. Security Attendant 'D'	20* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted (Non-Industrial).	Rs. 2750-70-3800-75-4400	Selection	Not admissible	Not applicable

8	9	10
Not applicable	Not applicable	Not applicable

11	12
By promotion.	<p>Promotion : Security Attendants 'B' with four years regular service in the grade in the respective Laboratory or Establishment.</p> <p>Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying service.</p>

13					14	
Departmental Promotion Committee for Promotion consisting of :					Not applicable.	
1.	Head of the concerned Establishment or Laboratory			—Chairman		
2.	Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory			—Member		
3.	An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment.			—Member		
1	2	3	4	5	6	7
5. Office Attendant 'B'	360* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-Industrial).	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000	Selection	Not admissible	Not applicable
8	9			10		
Not applicable	Not applicable			Not applicable		
11	12					
By promotion	Promotion : Office Attendants 'A' with four years regular service in the grade rendered in the respective Laboratory/Establishment. Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying service.					
13					14	
Departmental Promotion Committee for Promotion consisting of :					Not applicable.	
1.	Head of the concerned Establishment or Laboratory			—Chairman		
2.	Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory			—Member		
3.	An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment.			—Member		

1	2	3	4	5	6	7
6. Cosmetic Attendant 'B'	196* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-Industrial).	Rs. 2610-60-2910-65-3300-70-4000	Selection	Not admissible	Not applicable
8	9		10		11	
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Not applicable	
11				12		
By promotion				<p>Promotion :</p> <p>Cosmetic Attendants 'A' with four years regular service in the grade rendered in the respective Laboratory or Establishment.</p> <p>Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying service.</p>		
13				14		
Departmental Promotion Committee for Promotion consisting of				Not applicable.		
1.	Head of the concerned Establishment or Laboratory			—Chairman		
2.	Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory			—Member		
3.	An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment.			—Member		
1	2	3	4	5	6	7
7. Garden Attendant 'B'	91* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-Industrial).	Rs. 2610--60-2910-65-3300-70-4000	Selection	Not admissible	Not applicable
8	9		10		11	
Not applicable	Not applicable		Not applicable		Not applicable	

11

12

By promotion.

Promotion :

Garden Attendants 'A' with four years regular service in the grade rendered in the respective Laboratory/Establishment.

Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying service.

13

14

Departmental Promotion Committee III for Promotion consisting of:—

Not applicable.

1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory —Member
3. An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment. —Member

1	2	3	4	5	6	7
8. Security Attendant 'B'	310* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-Industrial).	Rs. 2610--60-2910-65-3300-70-4000	Selection	Not admissible	Not applicable

8

9

10

Not applicable

Not applicable

Not applicable

11

12

By promotion.

Promotion :

Security Attendants 'A' with four years regular service in the grade rendered in the respective Laboratory/Establishment.

Where juniors who have completed their qualifying service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying service by more than half of such qualifying service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period, for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying service.

13

14

Departmental Promotion Committee I for Promotion consisting of :—

Not applicable.

1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory —Member
3. An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment. —Member

1	2	3	4	5	6	7
9. Office Attendant 'A'	351*(2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-Industrial).	Rs. 2550— 55-2660- 60-3200	Not admissible	Not admissible	18 to 25 years, Upper age limit relaxable for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, Central Government Servants, etc. as per the orders of Central Government issued from time to time the crucial date for determination of the age limit in each case shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names or the last date notified in the advertisement for receipt of applications, as the case may be.

8

9

10

Essential :

Eighth Standard Pass

Desirable :

Secondary School Certificate
(10th standard pass under 10 + 2 system recognized by Central or State Governments.)

Not applicable

Two years for direct recruits

11

12

By direct recruitment :
Seventy five percent.
By absorption failing which by direct recruitment :
twenty five percent

Absorption :

Cosmetic Attendants 'A' with five years regular service in the respective Laboratory or Establishment and possessing the qualifications prescribed for direct recruitment or the ability to read and write English or Hindi or a Regional language which will be determined by a simple test.

13

14

Departmental Promotion Committee for Confirmation/absorption consisting of :—

Not applicable.

1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory —Member
3. An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment. —Member

1	2	3	4	5	6	7
10. Cosmetic Attendant 'A'	181* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-Industrial).	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not applicable	18 to 25 years, Upper age limit relaxable for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, Central Government Servants, etc. as per the orders of Central Government issued from time to time. The crucial date for determination of the age limit in each case shall be the last date up-to which the employment exchange is asked to submit the names or the last date notified in the advertisement for receipt of applications, as the case may be.

8	9	10
Essential: Fifth Standard Pass	Not applicable	Two years
Desirable: Eighth standard pass		

11	12
By direct recruitment	Not applicable

13	14
Departmental Promotion Committee for Confirmation consisting of:	Not applicable.
1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman	
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory —Member	
3. An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment. —Member	

1	2	3	4	5	6	7
11. Garden Attendant 'A'	55* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-Industrial).	Rs. 2550-55-2660-60-3200	Not applicable	Not admissible	18 to 25 years, Upper age limit relaxable for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, Central Government Servants, etc. as per the orders of Central Government issued from time to time. The crucial date for determination of the age limit in each case shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names or the last date notified in the advertisement for receipt of applications, as the case may be.

8	9	10				
Essential :	Not applicable	Two years				
1. Fifth Standard Pass						
2. Two years, experience in horticulture or rural agricultural background with knowledge of horticulture.						
Desirable :						
Eighth Standard pass						
11	12					
By direct recruitment	Not applicable					
13	14					
Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :—		Not applicable.				
1. Head of the concerned Establishment or Laboratory	—Chairman					
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory	—Member					
3. An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or establishment.	—Member					
1	2	3	4	5	6	7
12. Security Attendant 'A'	340* (2005) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'D', Non-Gazetted (Non-Industrial).	Rs. 2550-55-2660-60-3200.	Not applicable	Not admissible	18 to 25 years. Upper age limit relaxable for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen, Central Government Servants, etc. as per the orders of Central Government issued from time to time. The crucial date for determination of the age limit in each case shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names or the last date notified in the advertisement for receipt of applications, as the case may be.
8	9	10				
Essential :	Not applicable	Two years				
1. Secondary School Certificate (Tenth Standard Pass under 10+2 system) recognized by Central or State Governments						
2. Physical fitness and capability for strenuous duty.						

11

12

By direct recruitment :

Not applicable

Note : The direct recruits will have to complete the prescribed training course successfully, before their confirmation.

13

14

Departmental Promotion Committee for confirmation consisting of :—

Not applicable.

1. Head of the concerned Establishment or Laboratory —Chairman
2. Two senior officers of the concerned Establishment or Laboratory —Member
3. An officer from another Laboratory or Establishment or Headquarters equivalent to or above the rank of the members of the concerned Laboratory or Establishment. —Member

[F. No. DHRD/76257/RR/Group-D/C/P/01]

S. K. DEB, Under Secy.